

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

3-12-19

पत्रावली पेश हुई उक्त पक्ष उक्त पत्रावली के पत्थर गद्दी की पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तदस्वीकार बंधु को पत्र लिखा जाकर पालना चाही जावे. पत्रावली दिनांक 14-1-20 को पेश है।

14-1-20

पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ साहब आज वारे पर पधारें है
अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक.....
18-2-20 को पेश की जावे

18-2-20

पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ साहब आज वारे पर पधारें है
अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक.....
31-3-20 को पेश की जावे

31-3-20

पत्रावली आज पेश हुई वारे द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 19/5/20 को पेश की जावे

19/5/20

पत्रावली आज पेश हुई वारे द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 30/6/20 को पेश की जावे

30-6-20

पत्रावली आज पेश हुई वारे द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 11-8-20 को पेश की जावे

23/7/20

पत्रावली पेश हुई, अधिकांश प्रमाणों का निर, पत्रावली में सहायक व. व. द्वारा निर्देश क्रमांक 1/20 दिनांक 14/7/20 के साथ सुनवाई में हल कर दिया है। रिपोर्ट व फाइल जमावदी के द्वारा प्राप्त हुई है। रिपोर्ट अधिकांश प्रमाणों को अपने रखे वकील की शपथ अधिकांश प्रमाणों को अधिकांश की शपथ पर 23/7/2022 दिनांक 2 रेखा 1-32-80 की भूमि का विक्रय का किया जाने से प्रमाणों के खतों में भूमि नहीं रखे से प्रमाणों अधिकांश की शपथ व. व. के अधिकांश नहीं रहे

Signature

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

मुकाम

देवा

बनाम

शुकी काई

करम मुकदमा

नं. 2019/177057 सन्

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>हुँ अदालत प्रार्थना को पुरावली में प्रस्ताव रिपोर्ट से इन्चित कराया गया। प्रार्थना द्वारा जिस आराजी की प्रस्तावनी कराने कावेदन किया था, वह व्यक्ति आराजी विरुद्ध किया जाने से प्रार्थना पर प्रस्ताव अर्थात् 128 प्रस्ताव का खर्च किया गया है। पुरावली के साथ प्रस्ताव बनाया से वाक्य को</p> <p style="text-align: right;">५</p>	

कार्यालय तहसीलदार भू अं वेगू
दिनांक 14/7/2020

दिनांक 14/7/2020

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
वेगू

विषय :- पाथर गट्टी के सम्बन्ध में भूमि विक्रय होने की रिपोर्ट प्राप्त आना।


संदर्भ :- श्रीमान का पत्र अंक/सं/क/अ/रि/2018
230 दि 28/6/19 प्राप्त सं 30/19 के सम्बन्ध में
महोदयजी

शाखा
27/7/20

उपरोक्त विषयान्वित निवेदन है कि ग्राम काहुंडा के स्वामि देवा पिं रुपा बालाई पिं काहुंडा पिं आ. नं 231, 2022/252 कुल किरा 2 रकबा 0-328 की पाथर गट्टी कि पालना रिपोर्ट लाई गई।

भू अं कि वृत्त काहुंडा द्वारा जांच लेया कर मिजकारी गई जो मूल पत्रादि के साथ संलग्न करा मिजकारी जा रही है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।


तहसीलदार (भू. अं.)
वेगू, जिला-चित्तौड़गढ़

कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त - काठूणा

सेवामें

दि० 13/07/2020

श्रीमान तटसीलदार साहब,
बेवई

विषय :- फरखवादी के संबंधमें भूमि विक्रम होनेकी विपरीत पेश करने बाबत।

पुस्तिका :- श्रीमान उपरोक्त अधिकारी महोदय का क्र. 2533/06/19 प्रा.पत्र सं. 07/19 श्रीमान के आंक. 25/6/19
2019/1380 दि. 25/6/19
महोदयजी

निकल है कि ग्राम काठूणा के खातेदार देवा प्रियंका बच्चि सिंह काठूणा में आंक. 231, 2022/252 कुल रकबा 3.22 हे. की फरखवादी करने का आवेदन किया, जिसके आधार उक्त प्राथमिक फरखवादी करने का आवेदन दिया गया। बार में शर्मा ने नामांकन 2533 नि.प्र.दि. 05.08.19 द्वारा आंक. 231 र. 1.17 हे. का 25/6/19 दि. एवं नं. 2558 दि. 20.11.19 द्वारा आंक. 2022/252 र. 0.15 हे. खंजना-बाबला पति नवनील वर्मा जाति खरीक को एवं नाम. 2534 दि. 05.08.19 द्वारा आंक. 231 में 25/6/19 दि. सामंती पति मुकेश कुमार खरीक सा. बेवई की विक्रम कर दिया, जिससे वर्मा केतागणों के नाम दर्ज हो चुकी है।

अतः आवेदक के नाम आवेदन भूमि नहीं रहने से फरखवादी आवेदन निरस्त परमावे।

सिलबन :- श्रीमान जमावर्दी मकल

O.K.
13/07/2020

अधीय
T
श्री काठूणा
13/07/2020